

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 419
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य अवसंरचना हेतु प्रस्ताव

419. श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार किसान संघों की मांग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को विधिक गारंटी देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या कुछ राज्यों में एमएसपी अवसंरचना की कमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में एमएसपी से संबंधित अवसंरचना तैयार करने का है ताकि किसान अपनी उपज को सरलता से गोदामों तक पहुंचा सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या किसानों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे बिचौलियों से अग्रिम धन लेने और कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए विवश न हों; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : प्रत्येक वर्ष सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की विषय-वस्तु में (i) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता पर सुझाव तथा इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, और (ii) देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करना ताकि घरेलू एवं निर्यात अवसरों

का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के माध्यम से उन्हें अधिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और अब तक 6 बैठकें आयोजन की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) : भंडारण सुविधाओं में सुधार हेतु, सरकार, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएम) की एक उप-योजना कृषि विपणन अवसंरचना (एमआई), का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके तहत राज्यों में कृषि उपज की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों/वेयरहाउसों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, सरकार, पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूंजीगत लागत पर 25% और 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान करती है।

योजना के प्रारंभ से अर्थात् दिनांक 01.04.2001 से दिनांक 31.10.2024 तक, इस योजना के तहत 27 राज्यों में 9.44 करोड़ मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के साथ कुल 48,611 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं (गोदामों) को स्वीकृति प्रदान की गई है और 4795.47 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

वर्तमान अवसंरचना की कमियों को दूर करने और कृषि अवसंरचना में निवेश प्राप्त करने के लिए, जुलाई 2020 के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) का शुभारंभ किया गया था। एआईएफ, फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है जिसका वित्तपोषण अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से ऋण दात्री की संस्थाओं द्वारा किया जाना है।

इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 9% की अधिकतम ब्याज दर पर ₹1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान किया जाता है। इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर ₹2 करोड़ की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट उपलब्ध है। यह ब्याज छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। ₹2 करोड़ से अधिक राशि के ऋणों के संदर्भ में, ब्याज छूट ₹2 करोड़ तक सीमित है।

दिनांक 26.1.2025 तक, एआईएफ के तहत 92393 परियोजनाओं के लिए 56334 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से, ₹41996 करोड़ योजना लाभ के अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 91856 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया है। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 24,477 कस्टम हायरिंग केंद्र, 19,030 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 14,727 वेयरहाउस, 3,430 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 2,190 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, लगभग 28,539 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार ने आसान ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार, प्रत्येक वर्ष कृषि ऋण का वार्षिक लक्ष्य घोषित करती है। विगत कुछ वर्षों में ग्राउंड लेवल क्रेडिट (जीएलसी) में लगातार प्रगति देखी गई है और वर्ष 2023-24 में यह 25.49 लाख करोड़ रूपये था। सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार, सरकार के प्रयासों से कृषि में संस्थागत ऋण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और वर्ष 2022 में यह 75% था।

सरकार, कृषि ऋण तक आसान पहुँच में सुधार हेतु बैंकों के माध्यम से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान कर रही है ताकि किसान इनका उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि जैसे कृषि आदान की खरीद आसानी से कर सकें और अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकदी प्राप्त कर सकें।

सरकार, किसानों को केसीसी के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, किसानों को 1.5% का अग्रिम ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। अतः कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत किसानों को 7% की ब्याज दर पर ₹3.00 लाख तक का अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध हो जाता है। ऋणों के शीघ्र और समय पर वापसी अदायगी के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% अनुदान भी दिया जाता है; इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। कुछ राज्य सरकारें ब्याज सब्सिडी को और कम करने के लिए इसमें वृद्धि भी करती हैं।

किसानों को उनकी उपज की संकटपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए, फसलोपरांत ऋण हेतु परक्राम्य गोदाम रसीदों (एनडब्ल्यूआर) पर ब्याज अनुदान (आईएस) का लाभ भी उपलब्ध है, जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक, लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को फसलोपरांत छः माह की अतिरिक्त अवधि के लिए फसल ऋणों पर ब्याज अनुदान के समान स्तर पर प्रदान किया जाता है।
